विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या- 176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून दिनांक 06 मार्च, 2026 के द्वारा उद्घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति नियमावली वर्ष 2026-28, 2026-27 व 2027-28 (द्वितीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 45 XXIII-1/2025-04/E-RIKAR देहरादून दिनांक 03 फरवरी 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-27948/सात लाईसेन्स-46/आय0/2026-27/2027-28/सहनिर्देश/अव्यवस्थापन देहरादून दिनांक 03 फरवरी 2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्वितीय) हेतु चयनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का अव्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है -

जनपद पौड़ी गढ़वाल वित्तीय वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण।

		वर्ष 2026-2027							वर्ष 2027-2028						
क्र.स.	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व का लाईसेंस फीस(1% (1000 के गुणांक में)	वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक अधिभार (MGD)	मासिक अधिभार की धनराशि 1/12 भाग	प्रतिभूति की धनराशि	बराबर धनराशि निर्धारित राजस्व का 2%	हैसियत की धनराशि वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व का 15%	वर्ष 2027-28 निर्धारित राजस्व	वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व का लाईसेंस फीस(1% 1000 के गुणांक में)	वर्ष 2027-28 हेतु वार्षिक अधिभार (MGD)	मासिक अधिभार की धनराशि 1/12 भाग	प्रतिभूति की धनराशि	नवीनीकरण शुल्क निर्धारित राजस्व का 0.25% की धनराशि या 50000 जो अधिक हो (क्लॉज 4 के अनुसार)	हैसियत की धनराशि निर्धारित राजस्व का 15%
1	काट	12123587	121000	12002587	1000216	1000216	242472	1818538	12608530	126000	12482530	1040211	1040211	50000	1891280
2	नैनीडाडा	20499862	205000	20294862	1691238	1691238	409997	3074979	21319856	213000	21106856	1758905	1758905	74619	3197978
3	पौखाल	25979114	260000	25719114	2143259	2143259	519582	3896867	27018278	270000	26748278	2229023	2229023	94564	4052742
4	व्यासघाट / सिल्लू तल्ला / उमरासुरोड	26500000	265000	26235000	2186250	2186250	530000	3975000	27560000	276000	27284000	2273667	2273667	96460	4134000
5	ढाबखाल	31800000	318000	31482000	2623500	2623500	636000	4770000	33072000	331000	32741000	2728417	2728417	115752	4960800
6	दुधारखाल	19292000	193000	19099000	1591583	1591583	385840	2893800	20063680	201000	19862680	1655223	1655223	70223	3009552
7	रामणी / भरतनगर उतिक्षा	31800000	318000	31482000	2623500	2623500	636000	4770000	33072000	331000	32741000	2728417	2728417	115752	4960800
8	कसाणी	19292000	193000	19099000	1591583	1591583	385840	2893800	20063680	201000	19862680	1655223	1655223	70223	3009552
	कुल योग	187286562	1873000	185413562	15451130	15451130	3745731	28092984	194779025	1949000	192829025	16069085	16069085	667383	29216784

उक्त मदिरा की दुकानें हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (वन आवंटनी) से निर्धारित शुल्क पर आवेदन पत्र मय संलग्न पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, अंकित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र शपथ (सी-38) में उपलब्ध प्रारूप अनुसार शपथ विधिवत शपथित सम्बन्धित प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)/एच0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिभूति) एवं निर्धारित बराबर धनराशि निर्धारित राजस्व के 2 प्रतिशत के बराबर व प्रतिवर्ष मुल्य (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति संशोधित होने की स्थिति के क्रम सहित) जो कि जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में देय हो संलग्न आवेदन अभ्यर्थित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 15 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हेतु का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

12/03/26

जिला आबकारी अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

CamScanner